भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1072

05 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

दिल्ली गोल्फ क्लब की सदस्यता

†1072. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पूरक पट्टा विलेख के प्रासंगिक खंड के अनुसार 'आउट ऑफ टर्न' और सीमित खेल अधिकार के आधार पर दिल्ली गोल्फ क्लब के लिए व्यक्तियों को मनोनीत करता है, जिसमें तीन, चार या पांच वर्षों के ब्लॉक में सदस्यता का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से आज तक 'आउट ऑफ टर्न' श्रेणी के अंतर्गत दिल्ली गोल्फ क्लब के लिए नामित व्यक्तियों के नाम एवं ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) वे दिशानिर्देश/नियम क्या हैं जिनके आधार पर उक्त मंत्रालय 'आउट ऑफ टर्न' श्रेणी के अंतर्गत दिल्ली गोल्फ क्लब के लिए व्यक्तियों का चयन करता है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): दिल्ली गोल्फ क्लब की स्थापना 1930 के दशक की शुरुआत में एक नगरपालिका कोर्स के रूप में की गई थी और इसे पहले लोधी गोल्फ क्लब के नाम से जाना जाता था। पूर्व में आवंटित भूमि का पट्टा समय-समय पर बढ़ाया गया है। पिछला पट्टा विस्तार 19 जुलाई, 2012 को दिल्ली गोल्फ क्लब के अनुरोध पर वर्ष 2050 तक किया गया था। दिल्ली गोल्फ क्लब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। दिल्ली गोल्फ क्लब अपने संगम ज्ञापन/संस्था के अंतर्नियम आदि के अनुसार अपने कार्यों का प्रबंधन करता है और उसी के तहत सदस्यता भी प्रदान करता है।

*****